उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश:जबलपुर

A/4791

पृष्ठांकन क्र......................./चार–12–5/23(निर्देश) जबलपुर, दिनांक 10/11/2025

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश............................समस्त.........मध्यप्रदेश राज्य।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,............................समस्त.........मध्यप्रदेश राज्य।
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
4. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार(एम)/ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम)/उप नियंत्रक (लेखा)/ओ0एस0डी0(लेखा)/ असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा/पेंशन अनुभाग)/प्रशासनिक अधिकारी(बजट अनुभाग) /सहायक वेतन पत्रक (राजपत्रित)/सहायक सेवा पुस्तिका (राजपत्रित) एवं सहायक (पेंशन),उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

की ओर मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र कमांक 4198/2025/21–ब(एक) भोपाल दिनांक 14.10.2025 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

नोटः– रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

10.11.25

(राजेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार(एम)

डेमन

-speed-1067

मध्यप्रदेश शासन,

विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 4198/2025/21-ब(एक), भोपाल, दिनांक 14/10/2025

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान नई संशोधित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/4(i)/2025-E.II(B) दिनांक 06/10/2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा दिनांक 01, जुलाई, 2025 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम-9 के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी। अतः राज्य शासन राज्य में कार्यरत न्यायिक सेवा के सदस्यों को **दिनांक 01 जुलाई, 2025 से मूलवेतन के 55% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 58% प्रतिमाह की दर से** निम्नलिखित उपबंधों पर **पुनरीक्षित दरों** से **महंगाई भत्ता** भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/4(i)/2025-E.II(B) दिनांक 06/10/2025 के अनुसार होगा।

(2) संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, **पे-मैट्रिक्स** में निर्धारित **लेवल** में आहरित वेतन से है, किन्तु इसमें **विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन** आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं होगा।

(3) इस आदेश के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक **01 जुलाई, 2025** से नगद किया जावेगा।

(4) महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

(5) महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रूपए के पूर्णांक में किया जाए और यदि यह अंश 50 पैसे कम है तो उसे नजर अंदाज किया जाए।

(6) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाये जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वूसली योग्य होगी।

(7) महंगाई भत्ते की एरियर राशि का भुगतान जुलाई 2025 से देय वेतन के उपरांत ही किया जाये। एरियर्स के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाये जायेंगे जहाँ से उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित किया गया हो।

2/— इस आदेश के प्रकाश में प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किये जायेंगे। तद्नुसार निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन पर्चियों को इस आदेश अनुरूप संशोधित मानकर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2025 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का भुगतान पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए उपर्युक्त कंडिकाओं में बताये अनुसार किया जाए।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मुकेश कुमार)
सचिव (विधि)
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. फा.क्रमांक 4198/2025/21—ब(एक), भोपाल, दिनांक 14/10/2025

प्रतिलिपिः—

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,

23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
29. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
30. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
31. प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
32. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
33. प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
34. प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
35. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
36. प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
37. प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
38. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट एवं एफ0टी0एम0एस0 पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
39. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य........................
40. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर
41. बिल लिपिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अनिल कुमार पाठक)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No.1/4(i)/2025-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

Kartavya Bhavan 1, Kartavya Path,
New Delhi-110001
Dated the 06th October, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-effective from 01.07.2025.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/1(1)/2025-E.II(B) dated 2nd April, 2025 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from **55% to 58%** of the Basic Pay **with effect from 1st July, 2025.**

2. The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3 The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways, respectively.

6. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under clause (5) of Article 148 of the Constitution of India.

Hindi version is attached.

(Samir Kumar Das)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list

8.10.25

24010

सं. 1/4(i)2025-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य पथ

नई दिल्ली - 110001

दिनांक 01.10.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन - 01.07.2025 से प्रभावी।

अधोहस्ताक्षरी को, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 02 अप्रैल, 2025 के का.ज्ञा. सं. 1/1(1)/2025-ई.II(बी) का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को 01 जुलाई, 2025 से मूल वेतन के 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में, क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(समीर कुमार दास)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।